

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2025/ 79

दिनांक 24/01/25

**प्रार्थीगण:-**

1.सुशीला पत्नि प्रवीण कुमार  
जाति गुरुडा, निवासी बाखासर  
तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर

**विप्रार्थीगण:-**

1.हरू पुत्र सुमार 2.श्रवण पुत्र गुणेशा 3.केशरा 4.गेमरा पि.  
रावता 5.लखा 6.मोहन पि.गुणेशा 7.सालू पुत्र हरू 8.मेहाजल  
9.गोरखा 10.रणजीता 11.हाला पि.रावता 12.राजू 13.देराज  
पि.हरू, जाति मेघवाल, निवासी रबासर, तहसील धनाऊ

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम

वास्ते करने नेखमबंदी बावत।

राजस्व आवेदन सं. 84/2024

दिनांक : 24/01/2025

आदेश

तहसीलदार धनाऊ को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील धनाऊ, पटवार क्षेत्र रबासर के मौजा रबासर के खेत खसरा सं. 686/101, 687/101 रकबा क्रमशः 01.8373, 01.8373 हैक्टर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई विन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे।

आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।  
प्रार्थी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2025/ 80 to 83

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार धनाऊ
2. प्रार्थीनी सुशीला
3. विप्रार्थीगण हरू वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड/धौरीमन्ना/धनाऊ/सेड़वा

  
उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन

दिनांक 24/01/25



(कुसुमलता चौहान)  
उपखण्ड अधिकारी

चौहटन  
चौहटन